



Neutral Citation No.- 2026:AHC:16257

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-41790 वर्ष 2024

धर्मेश कुमार

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: बृजेश कुमार पाल, राम बहादुर सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राम बहादुर सिंह, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2023 के मुकदमा अपराध संख्या-11 में धारा 302, 201 भ०द०वि०, थाना-चंदौसी, जिला: संभल के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक 6.1.2023 से जेल में बंद है, इस तरह वह लगभग तीन साल से जेल में बंद है। मुकदमा धीमी गति से चल रहा है, इसलिए निकट भविष्य में परीक्षण के समापन की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर नामित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्सम्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि यह एक खुला और बंद मामला है क्योंकि शव केवल आवेदक के इंगित पर बरामद किया गया था, इस प्रकार, वह ज़मानत के हकदार नहीं है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 5.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 15.12.2025 के लिए धारा 313 द०प्र०स०/351 बी.एन.एस.एस के तहत आरोपी के बयान के संबंध में मामला तय किया गया था।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य आईएनएससी 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक व्यक्ति का शव आवेदक की ओर इशारा करते हुए बरामद किया गया था, इस तथ्य के साथ कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 21, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.